न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—62/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00152)

1. गिर्राज पुत्र रामस्वरूप, जाति मीना निवासी गुवाडाहार, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बिरदू पुत्र श्री हीरा, जाति मीना निवासी गुवाडाहार, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः—207/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00112)

1. गिर्राज पुत्र रामस्वरूप, जाति मीना निवासी गुवाडाहार, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बिरदू पुत्र श्री हीरा, जाति मीना निवासी गुवाडाहार, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री विजय सिंह राठौड़ एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 27.12.2021

अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक क्रमशः 06.11.2018 एवं 07.01.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की पीठ—पीछे से और अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जिस आदेश की जानकारी

P.T.O.

अपीलान्ट को पटवारी हल्का के द्वारा हुई जिसमें पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 395/471 को 398 के स्थान पर दर्शाते हुए उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 06.11.2018 को आदेश पारित किये है जिसे आधार पर रिकार्ड व नक्शें की दुरूस्ती की जायेगी जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट ने वकील साहिबान से सलाह मुशहरा किया जिन्होने अपील करने की सलाह दी जिस पर उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने के दिन तक का समय मूजरा दिये जाने पर अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना धारा 5 मियाद अधि. व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया था कि सैटलमेन्ट सम्वत् 2028 में मिलान क्षेत्रफल व नक्शे में असल रेस्पोडेन्ट को आवंटित किया गया रकबा व खरीद किया गया रकबा गलत दर्शाया गया है जिसे दुरूस्त किया जावें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कतई गौर नही किया गया जबकि मौजूदा प्रार्थना पत्र राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नही आता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में दुरूस्ती चाही गई है और अन्य खसरा नम्बरान के खातेदारान को दुरूस्ती किये जाने वाले स्थान पर दर्ज किया गया है उन खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय मे समक्ष पक्षकार नही बनाया गया और ना ही इस सम्बंध में किसी प्रकार की कोई जांच की गई बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी व वाकेआती गलती की है जो काबिले गौर श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सैटलमेन्ट सम्वत् 2028 में खसरा नम्बर 362 दर्ज किया गया और उसे नये नम्बर 383 दर्ज किये गये जो नम्बर आज तक बदस्तूर चले आ रहे है तथा सम्वत् 2061 के नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 372 गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 374 के तरफ पश्चिम को दर्शाया हुआ है तथा खसरा नम्बर 391 और 392 की तरफ पूर्व को दर्शाया गया है साथ ही खसरा नम्बर 398 खसरा नम्बर 395 के बाद तरफ पूर्व को दर्शाया गया है और अपीलान्ट का खसरा नम्बर 395/471 रास्ते के लगता हुआ तरफ पूर्व को दर्शाया गया है इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 372, 391, 392 और 398 एक चक नही है और अलग-अलग है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने महज 136 के प्रार्थना पत्र उक्त नक्शे को दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किया है जो कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 398 को खसरा नम्बर 391, 392 और 395/471 के साथ दर्शाया जाता है तो

P.T.O.

अपीलान्ट को काफी नुकसान पहूँचता है और अपीलान्ट इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय से व्यथित है। उन्होने आगे कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता हो कि असल रेसपोडेन्ट की आराजी कन्हैया व रामसुखा की खरीदशुदा आराजी से मिलती हुई हो और जो चारों खसरा नम्बरान खसरा नम्बर 391, 392, 372 और 398 का एक चक बना रखा और ना ही ऐसा अलॉटमेन्ट का रिकार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नम्बर 360 का तीतम्मा एकसाथ विवादित आराजी का काटा गया हो।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान को पक्षकार नही बनाया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2018 द्वारा स्वीकार करके नजरी नक्शा पटवारी हल्का दिनांक 08.08.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 374 गैर मुमकिन सड़क के पूर्व में दर्ज कर दुरूस्त करने के आदेश दिये गये जिस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक अपील संख्या 62/2019 दिनांक 25.03.2019 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 02.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश दिये तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने बदयतीपूर्वक दिनांक 03.01.2019 को एक बिना टिकट लगा हुआ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का लेकर दिनांक 07.01.2019 को निर्णय को निरस्त करते हुये पत्रावली को फैसल शुमार करते हुये दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये तत्पश्चात दिनांक 07.01.2019 को ही एक अन्य संशोधित निर्णय जारी किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 391 रकबा 0.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.89 हैक्टयर वाके ग्राम गुवाडाहार का नक्शा साबिक नक्शा सीट दिनांक 08.08.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 374 गैर मुमकिन सड़क के पूर्व में दर्ज करते हुये प्रभावित खसरा नम्बरान का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये गये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2018 व 07.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था इसलिये अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट उक्त निर्णयों से प्रभावित प्रक्षकार नही है व उक्त निर्णय मे अपीलान्ट की कोई भूमि भी शामिल नही है और कोई भूमि गयी भी नही है, ना ही

P.T.O.

अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. में यह बताया कि वह किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है जबकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नही है और अपीलान्ट उक्त निर्णय से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है तो उसे उक्त निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने की कोई लोकस स्टेण्डाई व अधिकार ही नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट मात्र रंजिशवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त अपील पेश की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि कानूनन अपीलान्ट जब ही अपील पेश कर सकता है जब वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हो और अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही हो तो निर्णय से प्रभावित पक्षकार हो किन्तु उक्त अपीलाधीन निर्णय में ना तो अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था इसलिये उसे हस्तगत अपील पेश करने का कोई कानूनन अधिकार नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शे अनुसार नया नक्शा दुरूस्त करने का आदेश दिया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण अधिकार है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व दिनांक 06.11.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष मियाद बाहर पेश की जिससे यह नही माना जा सकता है प्रश्नाधीन मामले व आदेश की जानकारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 को नही थी बल्कि अपीलान्ट को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 की जानकारी बेखुबी थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 07.01.2019 की नकल जानबुझकर विलम्ब से ली है जिसके लिये उसके साथ कोई मियाद की दृष्टि में रहम की दृष्टि कानूनन नही रखी जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्पष्ट तौर पर मियाद बाहर पेश की है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज फरमााई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण सख्या 62/2019 उनवान गिर्राज बनाम बिरदू में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.

04.2019 को स्थगन जारी किया गया है तथा उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 पारित किया गया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2018 एवं 07.01.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।